न्यायालय जिला कलक्टर कोटा

पीठासीन अधिकारी– पीयूष समारिया, IAS
प्रकरण संख्या 08 / 2025

उमारानी गौत्तम पत्नि श्याम बिहारी गोत्तम म0नं0 1189 वसंत विहार कोटा जर्ये धर्मेन्द्र गौत्तम पुत्र स्व0 श्याम बिहारी गोत्तम 1189 वसंत विहार विहार कोटा राज0

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं अति0 जिला कलक्टर, कोटा

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19 सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांकः– 05.08.2025

अपील का सक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि उमारानी गौत्तम पत्नि श्याम बिहारी गोत्तम म0नं0 1189 बसंत विहार कोटा जर्ये धर्मेन्द्र गौत्तम पुत्र स्व0 श्याम बिहारी गोत्तम 1189 बसंत विहार विहार कोटा राज0 ने दिनांक 19.04.2025 को सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत लोक सूचना अधिकारी एवं अति0 जिला कलक्टर कोटा के यहां आवेदन प्रस्तुत कर निम्न सूचना चाही गई –

1. एस.एच.ओ. कोतवाली रामपुरा कोटा दिनांक 7.11.2014 को अति0 जिला कलक्टर को प्रस्तुत इस्तगासा सरकार बनाम मुरलीधर गोत्तम वगै0 के विरूद्व इस्तगासा रिपोर्ट सहित न्यायालय की कार्यवाही अन्य आर्डरशीट इत्यादि पत्रावली की प्रमाणित प्रतियां
2. पुलिस अधीक्षक महो0 काटा को जर्ये रजि0 डाक दिनांक 9.6.2020 को प्रेषित परिवार की प्रमाणित प्रति सहित सम्पूर्ण पुलिस कार्यवाही न्यायालय कार्यवाही की सम्पूर्ण पत्रावली मय आर्डरशीट सहित कार्यवाही की प्रमाणित प्रतियां उपलब्ध करावें । दिनांक 21.10.2005 रपट रोजनामंचा कमांक 90 पर दर्ज उमारानी गोत्तम के द्वारा थाना दादाबाडी कोटा शहर में दर्ज परिवाद मय पुलिस कार्यवाही धारा 504 आई पीसी की कार्यवाही सहित सम्पूर्ण कार्यवाही की प्रमाणित प्रतियां उपलब्ध करावें ।
3. दिनांक 25.01.2010 से पूर्व व उसके बाद प्रार्थीया के पुत्र धर्मेन्द्र गौत्तम द्वारा नगर विकास न्यास कोटा से स्वीकृति मकान निमार्ण की स्वीकृति लेने के दोरान पूर्व प्रिवेन्शन परिवाद दिनांक 25.1.2010 पुलिस अधीक्षक महो0 कोटा को प्रेषित परिवाद की प्रति सहित उस पर पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही की प्रमाणित प्रतियां
4. दिनांक 25.1.2010 के बाद पुलिस थाना दादाबाडी कोटा को धर्मेन्द्र गौत्तम उमारानी गौत्तम, भैरूलाल प्रजापति इत्यादि द्वारा दिनांक 30.8.2010 तक प्रस्तुत परिवाद मय समझौता कार्यवाही की सम्पूर्ण कार्यवाही की प्रमाणित प्रतियां उपलब्ध करावें ।
5. पुलिस थाना दादाबाडी कोटा शहर मे दर्ज परिवाद दिनांक 26.9.2007 व 27.9.2007 की प्रमाणित प्रति मय सम्पूर्ण कार्यवाही की प्रमाणित प्रतियां
6. एडीएम सिटी कोटा ने दिनांक 16.7.2010 को प्रर्थीया को बिना नोटिस तामिल जर्ये रजिस्टर्ड डाक किये बगेर बिना सुने कैसे खारिज कर दिया कृपया 25.1.2010 की पुलिस अधीक्षक महो0 कोटा सहित एडीएम सिटी कोटा को प्रेषित परिवाद दिनांक 16.7.2010 से पूर्व व बाद प्रेषित परिवादों की प्रतियां व सम्पूर्ण कार्यवाही मय आर्डरशीट की प्रतियां
7. दिनांक 18.5.2010 को व दिनांक 18.5.2020 के पूर्व बाद पुलिस थाना दादाबाडी कोटा शहर सहित पुलिस अधीक्षक महो0 कोटा शहर को प्रेषित परिवादों की प्रतियों सहित समझौता किस बात पर हुआ की सम्पूर्ण कार्यवाही की प्रमाणित रपट रोजनामचा की प्रमाणित प्रतियां
8. दिनांक 8.4.2013 व 9.4.2013 को सम्भागीय आयुक्त कोटा को प्रेषित परिवाद की प्रति सहित कार्यवाही की प्रतियों सहित दिनांक 1.8.2019 का परिवाद पुलिस महानिरीक्षक कोटा को प्रेषित जर्ये रजिस्टर्ड डाक दिनांक 1.8.2019 की प्रमाणित प्रति सहित सम्पूर्ण कार्यवाही की प्रतियां ।

उक्त सूचना नहीं मिलने पर अपीलान्ट द्वारा दिनांक 21.06.2025 को प्रथम अपील प्रस्तुत की गई जो इस न्यायालय को 25.06.2025 को प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर लोक सूचना अधिकारी एवं अति0 जिला कलक्टर, कोटा से टिप्पणी प्रस्तुत करने हेतु लिखा गया तथा अपीलार्थी को भी व्यक्तिगत सुनवाई हेतु पत्रांक/250 दिनांक 17.07.2025 से लिखा गया किन्तु अपीलार्थी अनुपस्थित है । लोक सूचना अधिकारी एवं अति0 जिला कलक्टर कोटा ने अपने पत्रांक/प्रथम अपील/2025/273 दिनांक 28.7.2025 से प्रकरण में अपनी टिप्पणी प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि उमारानी की अपील के प्रतिउत्तर में इस कार्यालय के पत्रांक/220 दिनांक 26.6.2025 से सूचना आवेदक को रजिस्टर्ड पत्र द्वारा प्रेषित की जा चुकी है । चूंकि उक्त आवेदन से संबंधत सूचना आवेदक को भिजवा दी जाने से कार्यालय स्तर पर कोई कार्यवाही शेष नहीं रहने से अपील खारिज फरमाये जाने की व्यवस्था फरमावें ।

हमने प्रार्थी अपीलांट के आवेदन पत्र दिनांक 19.04.2025 का अवलोकन किया, लोक सूचना अधिकारी द्वारा प्रस्तुत टिप्पणी एवं पत्रादि का अवलोकन किया जिससे ज़ाहिर हो रहा है कि प्रार्थी अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना एडीएम सिटी,पुलिस अधीक्षक कोटा शहर, संभागीय आयुक्त कार्यालय से सम्बन्धित है, जिसमें से एडीएम सिटी से प्राप्त सूचना प्रार्थीया को पत्रांक/220 दिनांक 26.6.2025 से लोक सूचना अधिकारी एवं अति0 जिला कलक्टर कोटा द्वारा उपलब्ध करा दी गई है तथा पुलिस अधीक्षक कोटार से सम्बन्धित पत्रांक/178 दिनांक 2.6.2025 एवं संभागीय आयुक्त कार्यालय से सम्बन्धित सूचना के लिए पत्रांक/176 दिनांक 2.6.2025 से आवेदन नियम 6 (3) के तहत अन्तरित कर दिया गया है । इस प्रकार प्रार्थी अपीलांट के आवेदन में लोक सूचना अधिकारी स्तर से कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने से अपील अपीलांट इसी स्तर से निस्तारित की जा चुकी है । किन्तु लोक सूचना अधिकारी द्वारा आवेदन पत्र दिनांक 19.4.2025 से चाही गई सूचना अपील दिनांक 21.06.2025 प्रस्तुत होने के बाद भिजवाई गई है जो उचित नहीं है । अतः लोक सूचना अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि सूचना के अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत आवेदन प्राप्त होने पर नियत समयावधि में सूचना उपलब्ध कराना एवं आवेदन का निस्तारण नियत समयावधि 30 दिवस में करना सुनिश्चित करें । अपील अपीलान्ट इसी स्तर पर निस्तारित की जाती है ।

निर्णय आज दिनांक 05.08.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया. ।

(पीयूष समारिया)
जिला कलक्टर, कोटा

जिला कलक्टर
कोटा